

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(7)शिक्षा/ग्रुप-3/2019

जयपुर, दिनांक: 16.08.2019


—: आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के विन्दु संख्या 131 की क्रियान्विति के क्रम में राजकीय महाविद्यालय सांचोर, पहाडी एवं जहाजपुर को पुनः प्रारम्भ करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्त के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :-

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्व मद में प्रति महाविद्यालय राशि रुपये 150.00 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित विभागीय बजट मद में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से किया जाना साथ ही विभाग को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आवश्यक बजट प्रावधान हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संशोधित अनुमान वर्ष 2019-20 के यथा समय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान के संबंध में विभाग को भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण के तकमीने के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित करावें।


यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101903419 दिनांक 31.07.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(रामस्वरूप चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
- 7 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
- 8 कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर/जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर/महाराजा गजसिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/एम.एल.सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय जयपुर/पंडित दीदयाल उपाध्याय, शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- 9 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 20(101)/10 आयो/आकाशि/2019-20 मय नोटशीट के।
- 10 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
- 11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 12 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सांचोर, जिला जालौर, पहाडी, जिला भरतपुर एवं जहाजपुर, जिला भीलवाडा द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 13 रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव


आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 20 (101/02)/आयो/आकाशि/15-16/ 758

दिनांक: 18 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ब-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
- 9 कुलसचिव, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर, ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को भेज कर लेख है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालयों का सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क जारी करवाने का कष्ट करें।
- 10 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 12 संबंधित जिला कलक्टर
- 13 संयुक्त निदेशक एच.आर.डी/शासन कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृत पदों को भरने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
- 14 संयुक्त निदेशक (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधित कार्य सम्पन्न करवाने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
- 15 प्राचार्य / नोडल अधिकारी, संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
- 16 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(डॉ. दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा विभाग राज.
जयपुर